संख्या-209/2023/3358/22-2-2022-17(1417)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 मई, 2023

विषय:- जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामफल उर्फ काला पुत्र श्री खेमचन्द्र, निवासी जनपद-बागपत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-30519/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-29.08.2022) दिनांक-27.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामफल उर्फ काला पुत्र श्री खेमचन्द्र, ग्राम किरठल थाना-रमाला, जनपद-बागपत का निवासी है। ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 20.08.2004 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आधुनिक हथियारों से लैस होकर रामपाल, सतवीर, हरेन्द्र, मोनिका सहित 04 लोगों की हत्या कर दी तथा मोनिका के पेट में 09 माह का बच्चा था जिसकी 03 गोली लगने से पेट में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-449/2004, में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148, 452, 120बी, 429 एवं 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, बागपत के आदेश दिनांक 12.10.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.07.2021 तक 16 वर्ष, 11 माह, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा गांव के लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर विपक्ष में रोष रहता है, बन्दी को रिहा किया जाता है तो कोई अप्रिय घटना से इंकार नही किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 20.08.2004 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आधुनिक हथियारों से लैस होकर 04 लोगों की हत्या कर दी एवं मोनिका के पेट में 09 माह का बच्चा था जिसकी 03 गोली लगने से पेट में मृत्यु हो जाने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामफल उर्फ काला पुत्र श्री खेमचन्द्र, निवासी जनपद-बागपत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामफल उर्फ काला (बन्दी संख्या-142/2017) पुत्र श्री खेमचन्द्र, निवासी जनपद-बागपत के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-209/2023/3358(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बागपत ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-209/2023/3358/22-2-2022-17(1417)/2022

दिनांक 08 मई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामफल उर्फ काला पुत्र श्री खेमचन्द्र, ग्राम किरठल थाना-रमाला, जनपद-बागपत का निवासी है। ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 20.08.2004 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आधुनिक हथियारों से लैस होकर रामपाल, सतवीर, हरेन्द्र, मोनिका सहित 04 लोगों की हत्या कर दी तथा मोनिका के पेट में 09 माह का बच्चा था जिसकी 03 गोली लगने से पेट में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-449/2004, में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149,148,452, 120बी, 429 एवं 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, बागपत के आदेश दिनांक 12.10.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.07.2021 तक 16 वर्ष, 11 माह, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा गांव के लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर विपक्ष में रोष रहता है, बन्दी को रिहा किया जाता है तो कोई अप्रिय घटना से इंकार नही किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 20.08.2004 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आधुनिक हथियारों से लैस होकर 04 लोगों की हत्या कर दी एवं मोनिका के पेट में 09 माह का बच्चा था जिसकी 03 गोली लगने से पेट में मृत्यु हो जाने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामफल उर्फ काला पुत्र श्री खेमचन्द्र, निवासी जनपद-बागपत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in